राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग
ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(22)शिक्षा/ग्रुप–3/2024–04232 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

–: आदेश :–

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 दिनांक 16.07.2024 के बिन्दु संख्या–21.2 की अनुपालना में निम्नांकित 07 महाविद्यालयों (06 सहशिक्षा व 01 कन्या शिक्षा) में नवीन MCA कोर्स प्रारंभ किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

<table>
<tr><th>महाविद्यालयों के नाम</th><th>बजट मद</th><th>पदनाम</th><th>प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या</th><th>कुल स्वीकृत पदों की संख्या</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर
2.महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर
3.राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर
4.राजकीय महाविद्यालय सांगानेर
5.राजकीय महाविद्यालय जोधपुर
6.राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा
7. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर</td><td rowspan="5">बजट मद–
2202– सामान्य शिक्षा
03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान
02–राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) राज्य निधि
03– राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए) राज्य निधि</td><td>सहायक आचार्य</td><td>04</td><td>28</td></tr>
<tr><td>सूचना सहायक</td><td>02</td><td>14</td></tr>
<tr><td>कनिष्ठ सहायक</td><td>01</td><td>07</td></tr>
<tr><td>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी</td><td>01</td><td>07</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>08</td><td>56</td></tr>
</table>

1. उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगें।
2. सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सकों से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु आवश्यक आवर्तक/अनावर्तक व्यय (भवन निर्माण के अतिरिक्त) वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Signature valid
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.17 18:50:35 IST
Reason: Approved

4. भवन निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय राजकीय महाविद्यालय में विद्यमान भवन को दृष्टिगत रखकर प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए मय तकमीना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401848 दिनांक 12.09.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)
शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.17 18:50:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10530114

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(22)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2024–04232 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

–: शुद्धि पत्र :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2024 की तालिका के कॉलम संख्या 01 के बिन्दु संख्या 06 में आयी अभियुक्ति ''राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा'' के स्थान पर ''राजकीय महाविद्यालय कोटा'' पढ़ा जावें। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)
शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.18 15:15:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10544059

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(7) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024-17458 पार्ट 7

विषय:- परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 दिनांक 16 जुलाई 2024 के बिन्दु संख्या 21.2 की अनुपालना में 07 राजकीय महाविद्यालयों (06 सहशिक्षा व 01 कन्या) में MCA पाठ्यक्रम खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(22)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04232 दिनांक 17.09.2024 व शुद्धि पत्र दिनांक 18.09.2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

1 संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।

2. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, कार्यालय, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

5. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।

7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

8. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MCA पाठ्यक्रम को सम्बद्ता प्रदान करने का श्रम करें।

2 संयुक्त निदेशक, राजसेस कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MCA पाठ्यक्रम में आगामी सभी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MCA पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4 संयुक्त निदेशक, एचआरडी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MCA पाठ्यक्रम में संकाय सदस्य/गेस्ट फैकल्टी लगवाये जाने की कार्यवाही करें।

5 संयुक्त निदेशक, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MCA पाठ्यक्रम के संबंध में सीएमआईएस पर अद्यतन व अन्य आवश्यक कार्यवाही करें।

6 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार खोले गये MCA पाठ्यक्रम की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, AICTE से मान्यता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे।

6 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।

7 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma

Designation : Joint Director

Date: 2024.09.18 18:22:07 IST

Reason: Approved